(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3558–तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20–08–2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा दोराहा के प्रकरण क्रमांक 170/अ–12/2013–14

....

1– निसार खां पुत्र मुरीद हसन
2– इब्ने हसन पुत्र शब्बीर हसन
3– आरिफ हसन पुत्र शब्बीर हसन
सभी निवासी– ग्राम बरखेड़ा हसन, तहसील श्यामपुर
जिला–सीहोर, म0प्र0

..................आवेदकगण

विरूद्ध

1– मेहफूज अली पुत्र श्री मेहबूब अली
निवासी–तलैया थाना के पास भोईपुरा, भोपाल
2– मेहबूबअली पुत्र माशूकअली
निवासीगण– ग्राम बरखेड़ाहसन, तहसील श्यामपुर
जिला–सीहोर, म0प्र0
3– हमीद शेर आ0 अहमद शेर
निवासी– जोगीपुरा, तलैया थाना, भोपाल

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0के0 गुरौदिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 25.10. 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा दोराहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम बरखेड़ाहसन स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 645/2/2, 654/2/2 एवं 655/1 कुल रकबा 3.32 एकड़ के सीमांकन का आवेदन–पत्र

अनावेदक क्र0 2 ने दिनांक 22.04.2013 को नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा के समक्ष प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 170/अ—12/2013—14 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 20—08—2014 को सीमांकन कार्यवाही के दस्तावेज प्र0पी01 लगायत प्र.पी. 6 अंकित कर पुष्टि किये जाने का आदेश पारित किया है, इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन भूमि सर्वे 645/2/2 व 654/2/2 का बटन नक्शे में उठाये बगैर मनमाने ढंग से 3.32 एकड़ भूमि का किये जाने का उल्लेख करते हुये 3.17 एकड़ पर आवेदकगण का कब्जा होना दर्शाकर कब्जा सौंपे जाने का प्रतिवेदन व पंचानामा विधि विरूद्ध बताकर सीमांकन कार्यवाही सम्पन्न होने का निगरानीधीन आदेश पारित किया है । नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा के पटवारी हल्का क्रमांक 5—ग्राम बरखेड़ा में पदस्थ होने के बावजूद भी हल्का नं0 13 व 14 को सीमांकन हेतु गठित टीम में बिना आदेश के शामिल कर तहसीलदार श्यामपुर की उपस्थिति में सीमांकन आदेश टप्पा दोराहा में पदस्थ नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने पर सीमांकन कार्यवाही दिनांक 31.07.14 को वर्षाकाल प्रारंभ हो जाने के पश्चात संपादित किये जाने का पंचनामा मौके पर सीमांकन किये बगैर तैयार कर विधि के विपरीत सीमांकन प्रतिवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.08.14 को रिकार्ड पर लेकर प्र.पी. 1 व प्र.पी. 2 से दर्शित करने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया किया अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित सीमांकन कार्यवाही के पश्चात अनावेदक को अवैध लाभ पहूँचाने की नियत से तहसीलदार श्यामपुर के हस्ताक्षर युक्त कब्जा पंचनामां प्र.पी. 6 सीमांकन दिनांक को ही तैयार कर सीमांकन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीदार टप्पा दौराहा ने दिनांक 20.08.14 को संहिता की धारा 250 के विपरीत आवेदकगण के वैध आधिपत्य को संरक्षित किये जाने के स्थान पर बिना समक्ष अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश पारित किये पर कब्जा सौंपे जाने का पंचानामा आवेदक मेहबूब अली के पुत्र मेहफूज अली एवं हबीब शेर को मौके पर कब्जा दिया जाना उल्लेखित कर सुपुर्दगी पंचनामा भी तैयार किया है जो प्रथम दर्शाया विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम बरखेड़ाहसन स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 645/2/2, 654/2/2 एवं 655/1 कुल रकबा 3.32 एकड़ के सीमांकन का आवेदन—पत्र अनावेदक क्र0 2 ने दिनांक 22.04.2013 को नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा के समक्ष प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार, श्यामपुर एवं सहयोगी पटवारी हल्का नं0 13 एवं 14 की उपस्थित में आवेदकगण की भूमि का मौके पर सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन पी. 1 पंचनामा प्रदर्श पी. 2 नक्शा प्रदर्श, पी.3 फील्डबुक प्रदर्श, पी. 4 सूचना पत्र, पी. 5 कब्जा एवं पंचनामा के प्रदर्श पी. 6 सीमांकन दिनांक को ही तैयार कर सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया । नायब तहसीदार टप्पा दौराहा ने दिनांक 20.08.14 को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत बेदखली का आदेश पारित करते हुये, प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन की पुष्टि कर दी । मैं नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा के द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से सहमत हॅू।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—08—2014 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर